परिपत्र संख्या 128/47/2019-जीएसटी

सं.जी.एस.टी./आईएनवी/ डीआईएन/01/19-20
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
जी.एस.टी. – अन्वेषण प्रकोष्ठ

नई दिल्ली 23 दिसंबर, 2019

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक/सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त/प्रधान अतिरिक्त महा निदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक/संयुक्त सचिव/आयुक्त, सीबीआईसी।

महोदया / महोदय,

विषय: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अधिकारियों द्वारा करदाताओं तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को जारी किए गए किसी भी संचार पर दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) के निर्माण और उद्धरण हेतु।

बोर्ड के परिपत्र संख्या 122/41/2019-जीएसटी दिनांक 05 नवंबर, 2019 जिसे निर्दिष्ट दस्तावेजों पर दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) के निर्माण और उद्धरण के निर्णय को लागू करने के लिए जारी किया गया था की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसा व्यापार/करदाताओं/अन्य संबंधित व्यक्तियों के साथ संचार में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी को प्रभावी करने की दृष्टि से किया गया था।

2. उपरोक्त परिपत्र के माध्यम से, बोर्ड ने निर्दिष्ट किया था कि डीआईएन निगरानी प्रणाली का उपयोग शुरुआत में तलाशी प्राधिकरणों, सम्मन, गिरफ्तारी मेमो, निरीक्षण नोटिस आदि पर डीआईएन उल्लेखित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इन दस्तावेजों/संचारों की वास्तविकता की ऑनलाइन पुष्टि की सुविधा सीबीआईसी.जी ओवी.इन पर प्राप्तकर्ता को प्रदान की गई है। उसी सिलसिले में, बोर्ड ने अब निर्देश दिया है कि देश भर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के किसी भी कार्यालय द्वारा करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजे गए (ई-मेल सहित) सभी संचार में दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन और उद्धरण किया जाएगा। इस पैरा में निहित निर्देश 24.12.2019 से प्रभावी होंगे।

3. तदनुसार, डीआईएन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में डीडीएम के ऑनलाइन पोर्टल "cbicddm.gov.in" पर पहले से ही उपलब्ध ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म/सुविधा को करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजे जाने वाले सभी प्रकार के संचार (ई-मेल सहित) के संबंध में डीआईएन की इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन को सक्षम करने के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है। एक तरफ डीआईएन की इलेक्ट्रॉनिक पीढ़ी करदाताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भेजे गए संचार के उचित ऑडिट निशानी को बनाए रखने के लिए एक डिजिटल निर्देशिका बनाएगी और वहीं दूसरी तरफ, यह ऐसे संचार प्राप्तकर्ता को संचार की वास्तविकता का पता लगाने की एक डिजिटल सुविधा प्रदान करेगी।

4. इस संदर्भ में, बोर्ड ने देश भर में केंद्रीय जीएसटी/ उत्पाद शुल्क/सेवा कर विन्यास द्वारा जारी तलाशी प्राधिकरण, सम्मन, गिरफ्तारी मेमो, निरीक्षण नोटिस आदि के प्रारूपों में सामंजस्य और मानकीकरण करना भी आवश्यक समझा। तदनुसार, बोर्ड ने इन दस्तावेजों के प्रारूपों की जांच करने और उनमें संशोधन का सुझाव देने के लिए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। मानकीकृत दस्तावेज़ डीडीएम द्वारा अपलोड किए गए हैं तथा वे उपयोग के लिए तैयार हैं। इन मानकीकृत दस्तावेज़ों को जब डाउनलोड और मुद्रित किया जाएगा तो इस पर एक पूर्व-चिन्हित डीआईएन होगा। तदनुसार, बोर्ड के निर्देशानुसार सभी फील्ड संरचनाएं तलाशी, सम्मन, निरीक्षण नोटिस, गिरफ्तारी ज्ञापन और अन्तरिम रिहाई आदेश के लिए मानकीकृत प्राधिकरण का उपयोग करेंगे (प्रारूप संलग्न हैं)। इन प्रारूपों का उपयोग सभी विन्यासों द्वारा 01.01.2020 से किया जाएगा।

5. बोर्ड एक बार फिर निर्देश देता है कि कोई भी निर्दिष्ट संचार में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न डीआईएन नहीं होगा और जो परिपत्र संख्या 122/41/2019-जीएसटी दिनांक 05.01.2019 के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अपवादों द्वारा आच्छादित नहीं किया गया है, को अमान्य माना जाएगा और यह माना जाएगा की इसे कभी जारी नहीं किया गया है।

6. मुख्य आयुक्तों /महानिदेशकों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों को सख्त अनुपालन के लिए उनके प्रभार के सभी विन्यासों में प्रसारित करें। इन निर्देशों के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो उन्हें तुरंत बोर्ड के संज्ञान में लाया जाए।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

(नीरज प्रसाद)
आयुक्त (जीएसटी- अन्वेषण),सी.बी.आई.सी.
दूरभाष :011-21400623
ईमेल आईडी:gstinv-cbic@gov.in

प्रतिलिपि :

i. अध्यक्ष, सीबीआईसी & सभी सदस्य, सीबीआईसी।
ii. महानिदेशक करदाता सेवाएँ, सीबीआईसी।
iii. प्रधान महानिदेशक (सिस्टम्स तथा डाटा प्रबंधन)।
iv. वेबमास्टर-सीबीआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।